24-II-A-

# AAO LDCE 2024 सहायक लेखा अधिकारी एलडीसीई 2024 Paper II: Service Rules पेपर II: सेवा नियम

Time: 3 Hours समय: 3 घंटे Maximum Marks: 100 अधिकतम अंक: 100

1366

#### **Instructions to Candidates**

1. This Question paper contains three parts - A, B and C

2. Part A - One compulsory question

3. Part B - Consists of Three (3) questions of which any two (2) questions are to be answered

4. Part C - Consists of Three (3) questions of which any two (2) questions are to be answered

5. All parts of a question must be answered together

6. Marks of each question are shown against it

7. Quote rules and relevant provisions in support of your answers.

# अभ्यर्थियों के लिए निर्देश

1. इस प्रश्न पत्र में तीन भाग हैं - क, ख और ग।

2. भाग क - एक अनिवार्य प्रश्न।

- 3. भाग ख इसमें तीन (3) प्रश्न हैं जिनमें से किन्हीं दो (2) प्रश्नों का उत्तर देना है।
- 4. भाग ग इसमें तीन (3) प्रश्न हैं जिनमें से किन्हीं दो (2) प्रश्नों का उत्तर देना है।

5. एक प्रश्न के सभी भाग एक साथ लिखें।

6. प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दर्शाये गये हैं।

7. अपने उत्तरों के समर्थन में नियमों और प्रासंगिक प्रावधानों को उद्धत करें।

## AAOLDCE2024-PaperII

Page 1

#### 8/12 Dte/24-P2-A

visit https://postaladda.com/ for aao ebook

## <u>Part A</u> भाग क

### **Question 1**

i. Shri X is governed under CCS (Pension) Rules 1972 and General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960.

श्री 'X' सीसीएस (पेंशन) नियम 1972 और जीपीएफ (केंद्रीय सेवा) नियम,1960 के तहत शासित हैं।

ii. Shri X, Date of birth 15.11.1959, joined the Government service on 10.07.1990 and retired on Superannuation.

श्री 'X' की जन्म तिथि 15.11.1959 है। 'X' 10.07.1990 को सरकारी सेवा में शामिल

हुए और अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हुए।

iii. He has availed Extraordinary Leave without a medical certificate from 20.09.1997 to 04.10.1997.

उन्होंने 20.09.1997 से 04.10.1997 तक बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के असाधारण छुट्टी ली।

iv. The pay of Shri X as of 03.07.2017 was Rs. 69,000 in Level 10. The DNI of the officer was 01.07.2018. Shri X got the Officiating promotion on 01.10.2018 into level 11 and reverted to the Substantial post on 30.06.2019 due to administrative reasons. Officiating pay as per FR 35 during Officiating promotion was Rs. 74000. X Superannuated from the Substantive post.

श्री 'X' का वेतन 03.07.2017 तक लेवल 10 में Rs. 69,000 था। अधिकारी की डीएनआई 01.07.2018 था । श्री 'X' को 01.10.2018 को लेवल 11 में स्थानापन्न पदोन्नति मिली और प्रशासनिक कारणों से 30.06.2019 को वापस मूल पद पर वापस आ गए। स्थानापन्न वेतन एफआर 35 के अनुसार Rs. 74000 था। 'X' मूल पद से सेवानिवृत्त हो गए।

v. GPF opening balance of Shri X as of 01.04.2019 was calculated as Rupees 10 Lacs. Earlier X had taken GPF advance for which X has refunded the amount of Rupees 5000 per month which was completed in June 2019. The monthly subscription for GPF is Rupees 20,000 per month. For the marriage of his daughter, he had taken withdrawal of amount Rupees 5 Lacs in July 2019. AO(GPF) has deducted all the contributions as per the GPF Rule.

AAOLDCE2024-PaperII

Page 2

S/12 Dte/24-P2-B

श्री 'X' का 01.04.2019 तक जीपीएफ प्रारंभिक शेष 10 लाख रुपये के रूप में गणना की गई थी। इससे पहले X ने GPF एडवांस लिया था जिसके लिए X ने जून 2019 तक 5000 रुपये प्रति माह वापस किया है। GPF के लिए मासिक सदस्यता 20,000 रुपये प्रति माह है। अपनी बेटी की शादी के लिए, उन्होंने जुलाई 2019 में 5 लाख रुपये की राशि निकाली है। एओ (जीपीएफ) ने जीपीएफ नियम के अनुसार सभी योगदानों की कटौती की है।

# Additional Information/अतिरिक्त जानकारी

- i. The dearness allowance applicable from 01.07.2019 is 17% 01.07.2019 से लागू महंगाई भत्ता 17% है।
- ii. GPF interest Rate for quarter April-19 to June-19 is 8% and from July-19 to March-20 is 7.9 %

अप्रैल-19 से जून-19 और जुलाई-19 से मार्च-20 तिमाही के लिए जीपीएफ ब्याज दर क्रमशः 8% और 7.9% है।

Based on the above information, calculate the following:

उपरोक्त जानकारी के आधार पर, निम्नलिखित की गणना करें:

- A. Calculate the Pension granted to X (including DA)

   X को दी गई पेंशन की गणना करें (महंगाई भत्ता सहित) ।
- b. Calculate the Retirement Gratuity सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की गणना करें।
- C. Total GFP Payable to X on his retirement
   X को उसकी सेवानिवृत्ति पर देय कुल जीपीएफ।

(5+5+10 Marks/अंक)

2

# <u>Part B</u>

### भाग ख

## **Question 2**

Define the following:

निम्नलिखित को परिभाषित करें:

- a. Substantive Pay (मूल वेतन) & Subsistence Grant (निर्वाह अनुदान)
- ठ. Fee and Honorarium (फीस और मानदेय)

### AAOLDCE2024-PaperII

Page 3

visit https://postaladda.com/ for aao ebook

- c. Rule 33(B) of CCS(GPF) Rules-Deposit linked Insurance Scheme सीसीएस (जीपीएफ) नियम : नियम 33(बी)-जमा लिंक्ड बीमा योजना
- d. Define Emolument. State the allowances which are included and excluded in the emoluments to calculate various retirement and death benefits.
   'परिलब्धियाँ' को परिभाषित करें। विभिन्न सेवानिवृत्ति और मृत्यु लाभ की गणना करने के लिए 'परिलब्धियाँ' में शामिल और बहिष्कृत भत्ते बताएं।

(20 Marks/अंक - 5\*4)

## Question 3

Write short notes on the following: निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें:

a. What all government dues are recoverable from retirement gratuity?

सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी से कौन-कौन से सरकारी बकाया वसूल किए जा सकते हैं?

b, Various kinds of Gratuity stated in CCS (Pension) Rules.

सी.सी.एस. (पेंशन) नियमों में वर्णित विभिन्न प्रकार की ग्रेच्युटी बताएँ।

c. What is the procedure for payment of Retirement/ Death gratuity to the family of a missing Government servant whose whereabouts are not known?

एक लापता सरकारी कर्मचारी, जिसका पता-ठिकाना ज्ञात नहीं है, के परिवार को

सेवा,निवृत्ति/मृत्यु उपदान के भुगतान की प्रक्रिया क्या है?

d. Admissibility of Child Education Allowance or hostel subsidy, if a Government Servant dies while in service.

यदि सरकारी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो बाल शिक्षा भत्ता या छात्रावास सब्सिडी की स्वीकार्यता।

(20 Marks/अक - 5\*4)

### **Question 4**

Describe the following: निम्नलिखित का वर्णन करें:

a. The fraudulent claim of leave travel concession (Rule 16 of CCS(LTC) Rules).

सीसीएस (एलटीसी) नियमों में छुट्टी यात्रा रियायत का धोखाधडीपूर्ण दावा। (सीसीएस (एलटीसी) नियमों का नियम 16)।

b Personal pay and presumptive pay. वैयक्तिक वेतन और अनुमानित वेतन।

AAOLDCE2024-PaperII

C Pension on absorption in or under a corporation, company or body. (Rule.36 of CCS(Pension) Rules 2021)

किसी निगम, कंपनी या निकाय में या उसके अंतर्गत समाहित होने पर पेंशन। (सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 का नियम 36)

d. Carryover of Leave Travel Concession. (Rule 10 of CCS(LTC) Rules)

01

छुट्टी यात्रा रियायत का कैरीओवर। (सीसीएस (एलटीसी) नियमों का नियम 10)।

(20 Marks/3 - 5\*4)

# <u>Part C</u> भाग ग

### Question 5

Write Short notes on:

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें:

- Appointing Authority and Disciplinary Authority as per CCS(CCA) Rules.
- सीसीएस (सीसीए) नियमों के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी और अनुशासनात्मक प्राधिकारी।

त्र Major penalties as mentioned in CCS(CCA) Rules. सीसीएस (सीसीए) नियमों में उल्लिखित बड़ी शास्तियां।

c. Name any five Directive Principles of State Policy.

राज्य नीति के किन्हीं पाँच निर्देशक सिद्धांतों के नाम बताइंए।

d. Equality before the Law.

कानून के समक्ष-समानता।

## (20 Marks/37 - 5\*4)

#### Question 6

- a. Which acts or behavior (mention any 4) form part of 'sexual harassment' as explained under
   ~ Rule 3-C of the CCS (Conduct) Rules, 1964?
- सीसीएस (आचरण) नियम, 1964 के नियम 3-सी के तहत बताए गए अनुसार कौन से कृत्य या व्यवहार (किसी 4 का उल्लेख करें) "यौन उत्पीइन" का हिस्सा हैं?
- b. Under what circumstances can a Government Servant be placed under suspension and by whom?

किन परिस्थितियों में किसी सरकारी कर्मचारी को निलंबित किया जा सकता है और किसके दवारा?

c. Exemption from Disclosure of Information under the Right to Information (RTI) Act. Discuss.

#### AAOLDCE2024-PaperII

Page 5

सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत सूचना के प्रकटीकरण से छूट। चर्चा करें।

d. Write the Preamble of the Constitution of India. भारत के संविधान की प्रस्तावना लिखें।

(20 Marks/अंक - 5\*4)

### **Question** 7

- a. Fill in the blanks (रिक्त स्थान भरें):
  - i. A Govt. servant shall be deemed to have been placed under suspension if he is detained in custody for a period exceeding

यदि कोई सरकारी कर्मचारी \_\_\_\_\_ से अधिक अवधि के लिए हिरासत में रखा जाता है, तो उसे निलंबित माना जाएगा।

कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण भारतीय संविधान के अनुच्छेद- \_\_\_\_\_ में शामिल किया गया है।

iii. Dismissal, removal or reduction in rank of persons employed in civil capacities under the Union or a State has been incorporated in Article-\_\_\_\_\_\_of Indian Constitution.

संघ या राज्य के अधीन सिविल क्षमता में नियोजित व्यक्तियों की बर्खास्तगी, हटाना या पद में कमी करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद \_\_\_\_\_ में शामिल किया गया है।

iv. Observance of Government's policies regarding preservation of environment, protection of wildlife etc. is defined in \_\_\_\_\_ of CCS Conduct rules.

पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीवों की सुरक्षा आदि के संबंध में सरकार की नीतियों का पालन सीसीएस आचरण नियमों के \_\_\_\_\_ में परिभाषित किया गया है ।

v. Where an application for information or appeal is given to the Central/State Assistant Public Information Officer, a period of \_\_\_\_\_ days shall be added in computing the period for response specified under Section 7.

#### AAOLDCE2024-PaperII

Page 6

जहां सूचना या अपील के लिए कोई आवेदन केंद्रीय/राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को दिया जाता है, वहां धारा 7 के तहत निर्दिष्ट प्रतिक्रिया के लिए अवधि की गणना में \_\_\_\_ दिनों की अवधि जोड़ी जाएगी।

(5 Marks/अंक - 5\*1)

b. Mention the list of documents to be forwarded by the Disciplinary Authority to the Inquiring Authority.

अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा जांच प्राधिकारी को अग्रेषित किए जाने वाले दस्तावेज लिखें।

(5 Marks/अक)

Difference Between Writ Jurisdictions of Supreme Court and High Court. सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के बीच अंतर।

(5 Marks/अक)

'Prescribed Authority' as per Rule 18 of CCS(Conduct) Rules. Define.
 सीसीएस (आचरण) नियमों के नियम 18 के अनुसार 'निर्धारित प्राधिकारी'। परिभाषित करें।
 (5 Marks/अंक)

END